

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उ०प्र०, लखनऊ।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग - 3

लखनऊ

दिनांक-22 जुलाई, 2022

विषय:- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-27.04.2014 में पारित निर्णय "Identity the families of all persons who have died in sewerage work (manholes,-septic-tanks)-since-1993-and-award-compensation-of-Rs. 10 lakhs for each such death to the family members depending on them" के अनुपालन में मा० मंत्रिपरिषद द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश-12 एम०एस०/ क०नि०प्र०/26-3-2018-17(47)/2017 टी०सी०-1, दिनांक-07.12.2018 के क्रम में सीवर/ सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रु० की तत्काल राहत प्रदान किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पंचायतीराज विभाग को उत्तरदायी बनाया गया है। इस हेतु मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1- कोष का नाम: मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना।

2- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना का उद्देश्य:- मा० सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालित किया जायेगा।

3- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना से आश्रितों को दिये जाने वाली धनराशि की सीमा:-

सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को कुल 10 लाख रु० की सहायता प्रदान की जायेगी।

4 - आवेदन की प्रक्रिया:-

(1) मृतक के आश्रित व्यक्ति/परिवार द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना पोर्टल पर

सीधे आवेदन किया जायेगा अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा, जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पोर्टल पर फीड कराया जायेगा।

(2) मृतक के आश्रित/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फीज किया जायेगा।

(3) पोर्टल पर आश्रित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर परीक्षणों परान्त पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जिन प्रकरणों में जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया गया है। उनमें जिलाधिकारी के अनुमोदन परान्त सीधे समस्त प्रपत्र उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी के स्वीकृत के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र को अपने लॉगिन आईडी से निदेशक पंचायतीराज को धनराशि हस्तान्तरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

5- धनराशि प्राप्त हेतु आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक अभिलेख:-

(1) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति।

(2) मृत्यु प्रमाण-पत्र, उत्तराधिकार/परिवार जन प्रमाण-पत्र।

(3) ग्राम प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु का प्रमाण-पत्र जिसकी पुष्टि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं०) से करा ली जायेगी।

6-राज्य स्तर से धनराशि का हस्तान्तरण:-

(1) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के आश्रित/परिवार के द्वारा किये गये आवेदन को जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के अग्रसारित किये जाने के उपरान्त निदेशालय के मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना प्रकोष्ठ द्वारा डाउनलोड किया जायेगा।

(2) सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के आश्रित के द्वारा किये गये आवेदन को पोर्टल से डाउनलोड करने के उपरान्त धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी०पी०ए० जनरेट किये जाने के लिए निदेशक पंचायतीराज से अनुमोदन/स्वीकृति लिया जायेगा।

(2) निदेशक पंचायतीराज के अनुमोदनोपरान्त उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 टीम द्वारा पी0एफ0एम0एस0-डी0वी0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित आश्रित व्यक्ति के खाते में धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट की जायेगी।

(3) नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग एवं निदेशक पंचायतीराज द्वारा पी0पी0ए0 पर हस्ताक्षर उपरान्त मात्राकृत धनराशि आवेदक के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(4) धनराशि के हस्तान्तरण उपरान्त आवेदक के मो0 नं0 पर सीधे सूचित करते हुए हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि हस्तान्तरण की सूचना से अवगत कराया जायेगा।

7- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना का बजट मद:-

- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के बजट व्यवस्थाएं हेतु 1.5 करोड़ रु0 की धनराशि हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित हैं। आवश्यकता होने पर निदेशक पंचायतीराज की मांग के अनुरूप अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जायेगी।
- राज्य स्तर पर MANUAL SCAVENGER MRITYU CHHATIPURTI YOJNA के नाम से नोडल अधिकारी राज्य वित्त एवं निदेशक पंचायतीराज के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जायेगा, जिसमें उक्त धनराशि संरक्षित की जायेगी। इस खाते में प्राप्त ब्याज को भी मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना में अन्तरित धनराशि माना जायेगा।


8- निदेशालय स्तर पर मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना:-

सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के आश्रित व्यक्ति/परिवार हेतु सहायता धनराशि दिये जाने हेतु गठित कोष के क्रियान्वयन व संचालन हेतु पंचायतीराज निदेशालय में मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा, जिसके प्रभारी नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग होंगे। प्रकोष्ठ में समस्त कार्यवाही के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सहायक की तैनाती की जायेगी। प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सहायक की योग्यता इण्टरमीडिएट तथा 01 साल के कम्प्यूटर कोर्स अनिवार्य होगा। किसी शासकीय विभाग/पब्लिक सेक्टर में 03 वर्ष व अधिक के कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सहायक का मानदेय 25,000 रु0 समस्त कर अतिरिक्त निर्धारित किया जाता है।

9- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु तकनीकी व प्रशासनिक व्यय का प्राविधान:-

मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के प्राप्त आवेदनों को समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही करने व सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सम्बन्धित आश्रित को निर्धारित धनराशि के भुगतान हेतु, राज्य स्तर पर स्थापित अनुश्रवण प्रकोष्ठ में उक्त कार्य पर लगने वाले आवश्यक व्यय हेतु प्रत्येक वर्ष में मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के प्राविधानित धनराशि में से 05 लाख रु0 की धनराशि तकनीकी व प्रशासनिक मद हेतु मात्राकृत किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग मानदेय, कम्प्यूटर क्रय, स्टेशनरी तथा यात्रा व्यय आदि पर किया जायेगा। व्यय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 होंगे।


अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह) 22.7.22
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव।